

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014/18 अग्रहायण, 1936 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा
उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा
पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, अकादमी के संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 व 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री जी०एस० बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 22(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का 13वां वार्षिक लेखा और परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

- (3) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394(2) के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;
 - (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13;
 - (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 67 और 68 के साथ पठित धारा 180 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: एम०पी०पी०-ए०(3)-३/२००३-II दिनांक 03.02.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2014 को प्रकाशित;
 - (iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं ओम्ब्राइसमैन) विनियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/609-B/2014 दिनांक 04.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.01.2014 को प्रकाशित;
 - (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/Secy/151. दिनांक 10.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.01.2014 को प्रकाशित;
 - (vi) हिमाचल प्रदेश बिजली ओम्ब्राइसमैन(अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 का निरसन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC(IT)(1)-1 दिनांक 21.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.01.2014 को प्रकाशित;
 - (vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/Secy/151. दिनांक 02.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित;

- (viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम् संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/438 दिनांक 11.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2014 को प्रकाशित; और
- (ix) शुद्धिपत्र हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2013 जोकि दिनांक 30.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2014 को प्रकाशित।
 ((iv) से (ix) तक विद्युत अधिनियम, 2003 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

- (4) श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या:एएचवाई-ए(3)-19/2010 दिनांक 02.05.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.09.2013 को प्रकाशित;
 - (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2011 जोकि अधिसूचना संख्या:ए.एच.वाई.-ए(3)2/2002-लूज़ दिनांक 22.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2011 को प्रकाशित; और
 - (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, प्रगणक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2011 जोकि अधिसूचना संख्या:एएचवाई-ए(3)-7/2010 दिनांक 07.04.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.04.2011 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
 - (i) समिति का 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;
 - (ii) समिति का 71वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iii) समिति का 72वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त एवं सिविल) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iv) समिति का 73वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है; और
 - (v) समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है।
2. श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
 - (i) समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वाणिज्यिक) के पैरा संख्या:4.1 पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित; और

- (ii) समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:3.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित ।
3. श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का आठवां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
4. श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 } (2014 का विधेयक संख्यांक 10)

दीर्घकालिक योजना, निगमित शासन प्रणाली विनियामक अनुपालन के क्षेत्रों में वित्तीय पुनर्गठन धारणीय आधार पर समर्थन के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय को समर्थ बनाने के लिए राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की वित्तीय और प्रतिचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घकालिक धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक नीति निदेशों और विभिन्न अन्य उपाय अधिकारित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) } अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (ii) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

- (1) श्री राम कुमार (52-दून), प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मैडल विजेता खिलाड़ियों को पड़ोसी राज्यों पंजाब/हरियाणा इत्यादि की तर्ज पर कम से कम पुलिस उप-अधीक्षक के पद से सम्मानित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (2) श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़), नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुछेक नामतः सड़कों के शीघ्रातिशीघ्र निर्माण/मरम्मत किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (3) श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा), चामुण्डा व डाढ़ (जिला कांगड़ा) क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र सीवरेज सुविधा हेतु प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (4) श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर), सरकाधाट तथा मण्डी अस्पतालों में कथित चिकित्सकों व नर्सों की लापरवाही के कारण हुई मौतों से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री सुरेश भारद्वाज
श्री रणधीर शर्मा } प्रस्ताव करेंगे कि :

"यह सदन प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के प्रावधानों पर विचार करे।"

धर्मशाला-176215
दिनांक: 8 दिसम्बर, 2014

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)